सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 488 राँची, शुक्रवार, 23 आषाढ़, 1938 (श०)

14 जुलाई, 2017 (ई०)

ग्रामीण विकास विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

12 जुलाई, 2017

संख्या :-01 / स्था० (मु०)-32 /2016 ग्रा०-2480-- भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

(i) यह नियमावली झारखंड पंचायत राज सेवा, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी (मूलकोटि) (सीमितप्रतियोगितापरीक्षा) नियमावली, 2017 कहलाएगी ।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. (i) परिभाषाएँ :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क)"उपलब्ध रिक्तियाँ" से अभिप्रेत है, झारखंड पंचायत राज सेवा के प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी पद की ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें पंचायत सचिव संवर्ग के पंचायत

सचिव की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है;

(ख) " परीक्षा" से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज सेवा के प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी (मूल कोटि) के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा ; और

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।

(ii) वे सभी अन्य शब्द, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैऔर यहाँ परिभाषित नहीं है, किन्तु झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली (संशोधित), 2014/झारखंड पंचायत राज सेवा नियमावली 2012 तथा झारखंड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली 2008 में परिभाषित है,के क्रमश: वही अर्थ रहेंगे, जो उन नियमों में हैं।

3. परीक्षा का आयोजन-

(1) आयोग प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी (मूल कोटि) के पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के निमित्त गठित परीक्षा नियमावली के अनुसार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा ।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर परीक्षा के आयोजन के संबंध में संशोधन कर सकेगी ।

4. पात्रता की शर्ते : परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता निम्नलिखित होगी :-

(1) जिन्होंने झारखंड राज्य में किसी जिले में पंचायत सचिव के रूप में सात वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्ववि|kलयअथवा 'डीम्ड विश्ववि|kलय' से स्नातक शैक्षणिक योग्यताधारी हो;

(2) उक्त संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध परीक्षा आयोजन के वर्ष में पूर्व से संसूचित कोई दण्ड प्रभावी नहीं हो;

(3) उक्त संबधित अभ्यर्थियों की सेवा संपुष्ट हो तथा वे पंचायत सचिव ग्रेड में विहित विभागीय प्रशिक्षण परीक्षा तथा विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्ण हों ;

(4) अभ्यर्थी की पात्रता के निर्धारण के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली जनवरी संदर्भ तिथि (Reference date) होगी ।

5. रिक्तियों का विनिश्चय :- इस नियमावली के नियम 2 (क) में परिभाषित रिक्तियों का विनिश्चय भर्ती वर्ष की 1ली जनवरी को सन्दर्भ तिथि मानकर किया जायेगा ।

6. शुल्क :- परीक्षा के लिए आवेदन शुल्कआयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

7. पात्रता के बारे में विनिश्चय :- पात्रता या अर्हता परीक्षा के प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसका प्रवेश-पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र (Admit card) निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करता है ।

8. परिणाम :-

(1) अभ्यर्थियों के नाम, जिन पर आयोग द्वारा परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने के लिए विचार किया जाना है, को मेधा के क्रम मे व्यवस्थित किया जाएगा और नियम 12 के उपबंधों के अध्यधीन उतनी नियुक्तियों के लिए अनुशंसा की जाएगी, जितनी अधियाचना विभाग के द्वारा की गई हो ।

(2) अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणाम की संसूचना का रूप और रीति का निर्णय आयोग के विवेक पर होगा ।

9. परीक्षा का स्वरूप :- परीक्षा एक चरण में ली जायेगी। इस परीक्षा में निम्न विषय से संबंधित प्रश्न होंगे :-

<u>खंड - 1 (भाषा ज्ञान)</u>

क) हिंदी भाषा ज्ञान	-	30 प्रश्न
ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	-	30 प्रश्न

<u>खंड - 2 (सामान्य ज्ञान)</u>

क) सामान्य अध्ययन	-	15 प्रश्न
ख) सामान्य विज्ञान	-	15 प्रश्न
ग) गणित	-	15 प्रश्न
घ) मानसिक क्षमता जाँच	-	15 प्रश्न
च) कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान	-	15 प्रश्न
छ) झारखंड से संबंधित ज्ञान	-	25 प्रश्न
ज) पंचायत सचिव कार्य एवं कर्तव्य का व्यावहरिक ज्ञान	-	50 प्रश्न
कुल	-	150 प्रश्न

सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 (तीन) अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जायेगी ।

(ii) परीक्षा की अवधि 3 घंटे (1+2) की होगी ।

(iii) परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी होगी ।

(iv) परीक्षा का पाठयक्रम अधोलिखित होगा:-

<u>खंड - 1 (भाषा ज्ञान)</u>

खंड 1 की परीक्षा अवधि एक घंटे की होगी

क) हिंदी भाषा ज्ञान :-

हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	-	10 प्रश्न
हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न	-	20 प्रश्न

ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :-

अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	-	10 प्रश्न
अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न	-	20 प्रश्न

खंड - 2 (सामान्य ज्ञान)

परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी

(क) सामान्य अध्ययन :- इन प्रश्नों से अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच की जायेगी । वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलो की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें झारखण्ड, भारत और इसके पडोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव निम्न प्रश्न पूछे जा सकते है:

(अ) सम- सामयिक विषय :- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाडी, महत्वपूर्ण घटनाएँ ।

(आ) भारत देश :- भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य,स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनैतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान ।

(ख) सामान्य विज्ञान :- सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित हो ।

(ग) गणित :- इसमें सामान्यत-प्रवेशिका स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

(घ) मानसिक क्षमता जाँच :-

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है : सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या ।

(च) कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Basic knowledge of Computer) :-

इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट इत्यादि से संबंधित प्रश्न यथासंभव पूछे जा सकते हैं ।

(छ) झारखंड से संबंधित ज्ञान -

झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, कला एवं संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ,राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय,इत्यादि से संबंधित प्रश्नपूछे जा सकते हैं ।

(ज) पंचायत सचिव के कार्य एवं कर्तव्य का व्यावहरिक ज्ञान -

झारखंड पंचायत राज अधिनियम एवं संविधान की 11वीं अनुसूची अंतर्गत ग्राम पंचायत के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं दायित्व, पंचायत की समितियाँ तथा उनके कार्य, पंचायत स्तर पर संधारित अभिलेख, पंजी तथा उसका अनुरक्षण, पेसा अधिनियम के संदर्भ में ग्राम सभा की शक्तियाँ तथा कर्तव्य, पंचायत स्तर पर संचालित विकास एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ एवं लाभुकों का चयन, ग्राम पंचायत लेखा तथा राजस्व का संधारण, आपदा प्रबंधन, सामाजिक कुरीतियाँ तथा पंचायत इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

(झ) खंड - 1 (भाषा ज्ञान) विषय की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा, जो अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे। खंड - 1 न्यूनतम अर्हतांक (30%) अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर अभ्यर्थी द्वारा खंड - 1 एवं खंड - 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उनकी मेधा का निर्धारण होगा ।

10. परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत एवं अनु० जाति/अनु०जनजाति के लिए 35 (पैतीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

11. मेधासूची -

(i) प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी (मूल कोटि) की मेधा सूची परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जायेगी ।

(ii) मेधा सूची तैयार करने के पश्चात् आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जाँच कराई जायेगी एवं तत्पश्चात आयोग द्वारा अंतिम अनुशंसा ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग को भेजी जायेगी ।

12. नियुक्ति -

(i) परीक्षा में सफलता, सेवा में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी (मूल कोटि) में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी, जबतक झारखण्ड सरकार को,ऐसी जाँच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी (मूल कोटि) में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(ii) प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी (मूल कोटि) में उपर्युक्त नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशानिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों के अध्यधीन होगी ।

13. इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा ।

14. जहाँ राज्य सरकार के ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग, झारखण्ड द्वारा ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधो को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 488--500